न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार जिला – चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मीणा

प्रकरण संख्या – 62/2019 राजस्व वाद

1. श्री गणेशलाल पिता कालु जाति जाट निवासी बुढ तहसील गंगरार
2. श्री नारायण पिता कालु जाति जाट निवासी बुढ तहसील गंगरार
3. रूकमा पुत्री कालु जाति जाट निवासी बुढ तहसील गंगरार
4. सेहनी पत्नि कुल जाति जाट निवासी बुढ तहसील गंगरार

बनाम

1. गोर्धन पिता देवा जाति जाट निवासी बुढ तहसील गंगरार
2. लेहरी बेवा देवा जाति जाट निवासी बुढ तहसील गंगरार
3. तहसीलदार गंगरार

वादपत्र बाबत् धारा 53 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त मोजा ग्राम कांसेडी पटवार हल्का गंगरार के खाता सख्या 30 में अकित आराजी 1228 कुल किता 1 रकबा 6.85 हेक्टर कृषि भूमि का विभाजन कराने हेतु वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1,2 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने अपने वाद पत्र को साबित कराने के लिए साक्ष्य वादी में गणेशजाज का शपत पत्र प्रस्तुत किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुन कर दिनांक 27.12.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गंगरार कमिश्नर नियुक्त कर डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार गंगरार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया एक पक्षीय बहस सुनी गई । दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

वादी का वाद पत्र विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मोजा ग्राम कांसेडी पटवार हल्का गंगरार के खाता संख्या 30 में अकित आराजी 1228 कुल किता 1 रकबा 6.85 हेक्टर कृषि भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

1. श्री गणेशलाल नारायण पिता कालु, रूकमा पुत्री कालु , सोहनी पत्नि कालु जाति जाट निवासी बुढ के हिस्से में रहेगी।

आराजी नम्बर	रकबा हेक्टर में	किस्म	लगान
1228/1	2.2833	बीड	5.36

कुल किता 1 रकबा 2.2833 हेक्टर,लगान 5.36

2. श्री गोर्धन पिता देवा , लेहरी बेवा देवा जाट सा0बुढ खातेदार के हिस्से में रहेगी ।

आराजी नम्बर	रकबा हेक्टर में	किस्म	लगान
1228 मी.	4.5667	बीड 4.5167 नाली 0.05	10.96

कुल किता 1 रकबा 4.5667 हेक्टर,लगान 10.96

उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे एवं नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रतिवादीगण, वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। डिक्री पृथक से जारी हो। खर्चा पक्षकाराना अपना अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुली अदालत सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगरार जिला – चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar Meena
Date: 2020.03.20 12:02:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: